

21	प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) :-	लागू नहीं
22	क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग अलग रंगों से भरा गया है :-	हाँ/नहीं
23	यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है :-	लागू नहीं
24	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है :-	हाँ/नहीं
25	यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी :-	लागू नहीं
26	सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं :-	लागू नहीं
27	वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये) :-	लागू नहीं
28	लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) :-	लागू नहीं
29	मानचित्र व बार-चार्ट में एकरूपता है :-	हाँ/नहीं
30	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है अथवा मलवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है :-	हाँ/नहीं
31	राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाणपत्र प्रस्ताव में संलग्न है :-	हाँ/नहीं
32	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी है तो क्या वे सत्यापित हैं :-	हाँ/नहीं
33	यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है :-	हाँ/नहीं
34	वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है :-	हाँ/नहीं
35	क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाणपत्रों में परियोजना का नाम अंकित है :-	हाँ/नहीं
36	क्या चैकलिस्ट के अनुसार सभी प्रमाणपत्र संलग्न है :-	हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्स सीट एवं चैकलिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाणपत्र/सूचनायें संलग्न की गयी है।

अधिरासी अभियन्ता
विद्युत वितरण विभाग
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली (टिहरी गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
मसुरी वन प्रभाग, मसुरी